

2848

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

Order

File No.- FFE-B-F(2)-9/2015

Dated

Shimla-171002, 19-3-2016

Sub :- Diversion of 0.05 ha of forest land in favour of Director, Department of Fisheries HP, for the construction of Aquarium House-cum-Museum Centre at Dharwala (Churi) within the jurisdiction of Chamba Forest Division, District Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/09/62/2015 / 2478** दिनांक **25-02-2016** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.05** हैक्टेयर वन भूमि को **Director, Department of Fisheries HP** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF-Choori में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 0.50 है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 सहायक निदेशक मत्सय पालन चम्बा ने पत्र संख्या 78 दिनांक 18-01-2016 (received through Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) letter No.Ft.48-2438 /2011 (FCA) dated **01-03-2016**) के द्वारा प्रमाण पत्र दिया है कि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 25-02-16 की शर्त संख्या 3 के सन्दर्भ में यदि भविष्य में एन.पी.वी. की दरों में कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. जमा करवाएगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 7 परियोजना निर्माण में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय अधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 8 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगा।

S/P/CA

APCCF(FCA)

PCCF
21/3/2016

प्र.मु.अ.व. वि.प्र.

पत्र सं. 4946

दिनांक 26/3/16

Wia

Contd./2

- 11 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 16 से अधिक न हो।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
- 14 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-9/2015 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 19-3-2016

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Addl. PCCF(FCA)-cum-Nodal Officer O/o HPFHQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.
6. The Chief Conservator of Forests Chamba, Distt. Chamba, HP.
7. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba, H.P.
8. Director, Department of Fisheries, Boileaugang Shimla Distt. Shimla HP.
9. Guard File.

(Sat Pal Dhiman)

Deputy Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No.Ft.48-2848/2014(FCA)

Dated Shimla-171001, the

29 MAR 2016

Copy is forwarded to CF (IT) for information and necessary action. He is requested to upload the formal order on the website of Forest Department as issued by Pr. Secretary (Forest) to GoHP at the earliest please.

Nodal Officer-cum-Addl.Pr.CCF (FCA)
O/o Pr.CCF, Himachal Pradesh, Shimla.

SA
31/3